न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

अपील सं. 02 / 2025 दर्ज दिनांक–05.03.2025
जीएमएस नं. –2025 / 93

अजेन्द्र सिंह काजला पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह काजला निवासी जेरठी तहसील सीकर जिला सीकर

– अपीलान्ट

बनाम

1. मैनपाल पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पबाना तहसील नवलगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री सज्जन चाहर
वकील रेस्पोडेन्ट :– अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.ए. विरूद्व नामान्तकरण आदेश सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 ग्राम पंचायत पबाना ,पटवार हल्का पबाना , तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 05.06.2025

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम पबाना की सरहद में खाता सं. नया 492 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 140 रकबा 1.36 है0, खसरा नं. 166 रकबा 3.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.61 है0 जिसके पूर्व खातेदार खुद काबिज काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दिनांक 24.09.2024 को अपनी वैध एंव पारिवारिक आवश्यक्ता हेतु भूमि अपिलान्ट को विक्रय कर वास्तविक एंव व्यवहारिक कब्जा संभला दिया तथा विक्रय पत्र भी दिनांक 24.09.2024 को उप पंजीयक मुकुन्दगढ के यहॉ पंजीबद्व करवा दिया है। उक्त भूमि का विक्रय पत्र विलेख के आधार पर नामान्तकरण सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 को भरकर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण खोलने के आदेश पारित किये है। मजमे आम मे नामान्तकरण सं. 2540 को दिनांक 24.12.2024 स्वीकार कर लिया लेकिन नामान्तकरण स्वीकार होजाने के बाद सरपंच द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर मंगवाकर कब्जा विवादित होने का कारण दर्शाकर नामान्तकरण पर अंकित कर नामान्तकरण सं. 2540 को खारिज कर दिया। मौके पर जॉच किये बिना कल्पना कयास के आधार पर नामान्तकरण सं. 2540 को खारिज किया गया है। इसलिये उक्त नामान्तकरण खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 24.12.2024 को निरस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

अपील पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद रजि. डाक तामील अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से पैरो. राज. उपस्थित।

बहस अपीलान्ट पेश होने पर बगौर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने कथन किया की नामान्तकरण सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 को ग्राम पंचायत ने मौके पर कब्जा नही होने का नोट लगाकर खारीज किया है। जो अवैध है इसलिये उक्त नामान्तकरण सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 पर पारित खारिज किये जाने के आदेश को खारिज किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 पर पारित खारिज किये जाने के आदेश बिना कोई जॉच के,बिना कोई ठोस कारण के अंकन किये केवल कब्जा नही होने के आधार पर खारीज किया है जो विधि सम्मत नही है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा ग्राम पंचायत पबाना द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 2540 दिनांक 24.12.2024 पर पारित खारिज किये जाने के आदेश को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, अपीलान्ट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये, प्रश्नगत नामान्तकरण के सम्बन्ध में पक्षकारो से आवश्यक जॉच करते हुये, विधिसम्मत पाये जाने पर ही नामान्तकरण भरा जावे तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू